



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 242 राँची, मंगलवार,

24 मई, 2022 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2021

संख्या-16/थाना-05/2020-4148--राज्य में आम नागरिकों को सिटीजन पोर्टल (www.samadhan.jhpolice.gov.in) / मोबाईल एप के माध्यम से विशेष प्रकृति के अपराधों - वाहन चोरी, विविध प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिग बच्चों से संबंधित अपराध एवं नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के कांड जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो के लिए बिना थाना गए e-FIR करने की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य के (खूंटी एवं रामगढ़ जिलों को छोड़कर) शेष 22 (बाईस) जिला मुख्यालयों में एक-एक (कुल बाईस) e-FIR थाना के सृजन हेतु अधिसूचित किया जाता है। प्रत्येक e-FIR थाना का स्वरूप एवं कार्य दायित्व निम्न प्रकार होगा -

1. भवन - प्रत्येक जिला में पूर्व से कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम में e-FIR थाना कार्य करेगा ।
2. e- FIR थाना के लिए पुलिस बल -

(A) थाना प्रभारी-कंपोजिट कंट्रोल रूम में पूर्व से सृजित पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी ही अतिरिक्त रूप से e-FIR थाना के थाना प्रभारी होंगे ।

(B) अनुसंधानकर्ता-जिले के सभी थानों में पदस्थापित कनीय पुलिस पदाधिकारी जो अनुसंधान का कार्य करते हैं अतिरिक्त रूप से e-FIR थाना के भी अनुसंधानकर्ता के रूप में enrolled रहेंगे। उन्हें यहां दर्ज कांडों का अनुसंधान का भार थाना प्रभारी, e-FIR थाना द्वारा दिया जायेगा ।

(C) पर्यवेक्षण पदाधिकारी-कांड के गंभीरता अनुरूप जिस स्थानीय थाना क्षेत्र से संबंधित कांड होगा उसके पुलिस उपाधीक्षक/पुलिस निरीक्षक कांड का पर्यवेक्षण करेंगे ।

(D) पुलिस पदाधिकारी/कर्म-कंपोजिट कंट्रोल रूम के लिए सृजित / उपलब्ध बल में से ही दो (02) कंप्यूटर जानकार पुलिसकर्म e-FIR थाना के कार्यों में सहयोग करेंगे ।

3. अन्य आधारभूत सुविधा-e-FIR थाना के लिए आवश्यकतानुसार टेबल, कुर्सी, अलमीरा, विद्युत आपूर्ति, नेटवर्क कनेक्टिविटी, दो (02) कंप्यूटर सिस्टम एवं एक (01) प्रिन्टर, जो कि पूर्व से जिले के कंपोजिट कंट्रोल रूम में उपलब्ध है का उपयोग किया जायेगा ।

4. a) e-FIR थाना का नियंत्री अधिकारी -

जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक e-FIR थाना के नियंत्री अधिकारी होंगे ।

b) एफ.आई.आर. करने की प्रक्रिया- जिस व्यक्ति को कंडिका 5(1) के अधीन वर्णित मामले में e-FIR दर्ज कराना है उन्हें समाधान पोर्टल पर Log-in कर अपना आवेदन e-Sign या Digital Signature के माध्यम से समर्पित करना होगा, तभी स्वीकार किया जायेगा ।

c) द.प्र.सं. के तहत प्राथमिकी अंकित करने हेतु आवेदक का सत्यापित नाम/पता होना आवश्यक है। e-FIR के मामले में यह आवश्यक होगा कि आवेदक के आवेदन पर उनका e-Sign या Digital Signature अनिवार्य रूप से रहे। e-FIR एक विकल्प है, बाध्यता नहीं, आम नागरिक कंडिका-5(1) में वर्णित प्रकृति के काण्ड अंकित कराने हेतु सामान्य तरीके से भी थाना जाकर अपना काण्ड अंकित करा सकते हैं।

5. e-FIR थाना का कार्य दायित्व -

(I) आम नागरिकों से सामाधान पोर्टल या मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त निम्नलिखित प्रकृति के शिकायतों के आधार पर थाना प्रभारी, e-FIR संबंधित धाराओं के तहत कांड दर्ज कर जिस स्थानीय थाना कार्य क्षेत्र में घटना घटित हुई हो उसके पुलिस पदाधिकारी को अनुसंधान हेतु अग्रसारित करेंगे-(A)वाहन चोरी,(B)अन्य विविध संपत्ति की चोरी, (C)सैधमारी,(D)महिला एवं बाल अपराध एवं (E)नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो ।

(II) थाना प्रभारी खुद के द्वारा Digitally signed प्राथमिकी की प्रति वादी के साथ-साथ सभी संबंधित अधिष्ठानों जैसे- जिस स्थानीय थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई हो उसके थाना प्रभारी, उस थाना के पर्यवेक्षण पदाधिकारी, संबंधित कोर्ट,बीमा कंपनी (यदि applicable हो तो), सभी पी.सी.आर., पुलिस अधीक्षक, एस.सी.आर.बी. एवं एन.सी.आर.बी. को Electronically Transmit / email के माध्यम से प्रेषित करेंगे ।

(III) अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड का अनुसंधान कार्य पूरी तरह Electronic Module में किया जाएगा ।

(IV) अनुसंधान के क्रम में की गई कार्रवाई एवं केस डायरी की प्रविष्टी भी Electronic Format में ही होगी ।

(V) जिन कांडों में प्राथमिकी दर्ज होने से 30 (तीस) दिनों के भीतर उदभेदन नहीं हो पाये उसमें संबंधित अनुसंधानकर्ता e-FIR थाना प्रभारी के माध्यम से स्वतः अंतिम प्रतिवेदन (सूत्रहीन) न्यायालय में समर्पित करेंगे ।

- (VI) सूत्रहीन कांडों में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिये जाने के पश्चात यदि उस कांड में कोई सूत्र मिलता है या अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी तो जिस थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई हो वहां का थाना प्रभारी कांड को **Re-open** करने का कार्यवाई करेंगे ।
- (VII) यदि कांड के अनुसंधान में तथ्य या कानून की भूल पाई जाती है तो थाना प्रभारी, e-FIR तदनुसार न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर सकेंगे ।
- (VIII) निम्न परिस्थितियों में थाना प्रभारी, e-FIR धारा 173 द०प्र०सं० के तहत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नहीं करेंगे तथा अग्रतर अनुसंधान हेतु कांड को स्थानीय थाना को अग्रसारित कर सकेंगे-
- (A) यदि कांड में चोरी गया वाहन या अन्य कोई संपत्ति बरामद हो ।
- (B) यदि कांड में संलिप्त अपराधी गिरफ्तार हो ।
- (C) यदि कोई अन्य कारण हो तो, पुलिस अधीक्षक की अनुमति से ।
- (IX) निम्न परिस्थितियों में e-FIR की सुविधा निषेध होगी -
- (A) यदि उल्लेखित अपराध की घटना संबंधित जिले या झारखंड राज्य के सीमा से बाहर घटित हुई हो ।
- (B) यदि अभियुक्त या संदिग्ध ज्ञात हो ।
- (C) यदि अपराध की घटना में कोई जखमी हुआ हो ।

6. **e-FIR थाना के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करने की शक्ति -**

- आवश्यकता होने पर महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उपरोक्त अंकित प्रकृति के कांडों के अलावे अन्य विविध कांडों जिनकी प्रकृति e-FIR के मानकों के तहत हो, उन्हें अपने स्तर से eFIR के तहत सूचीबद्ध करने हेतु आदेश जारी करेंगे ।

7. e- FIR थाना का संचालन हेतु Work-flow (अनुलग्नक-I)के रूप में संलग्न है ।

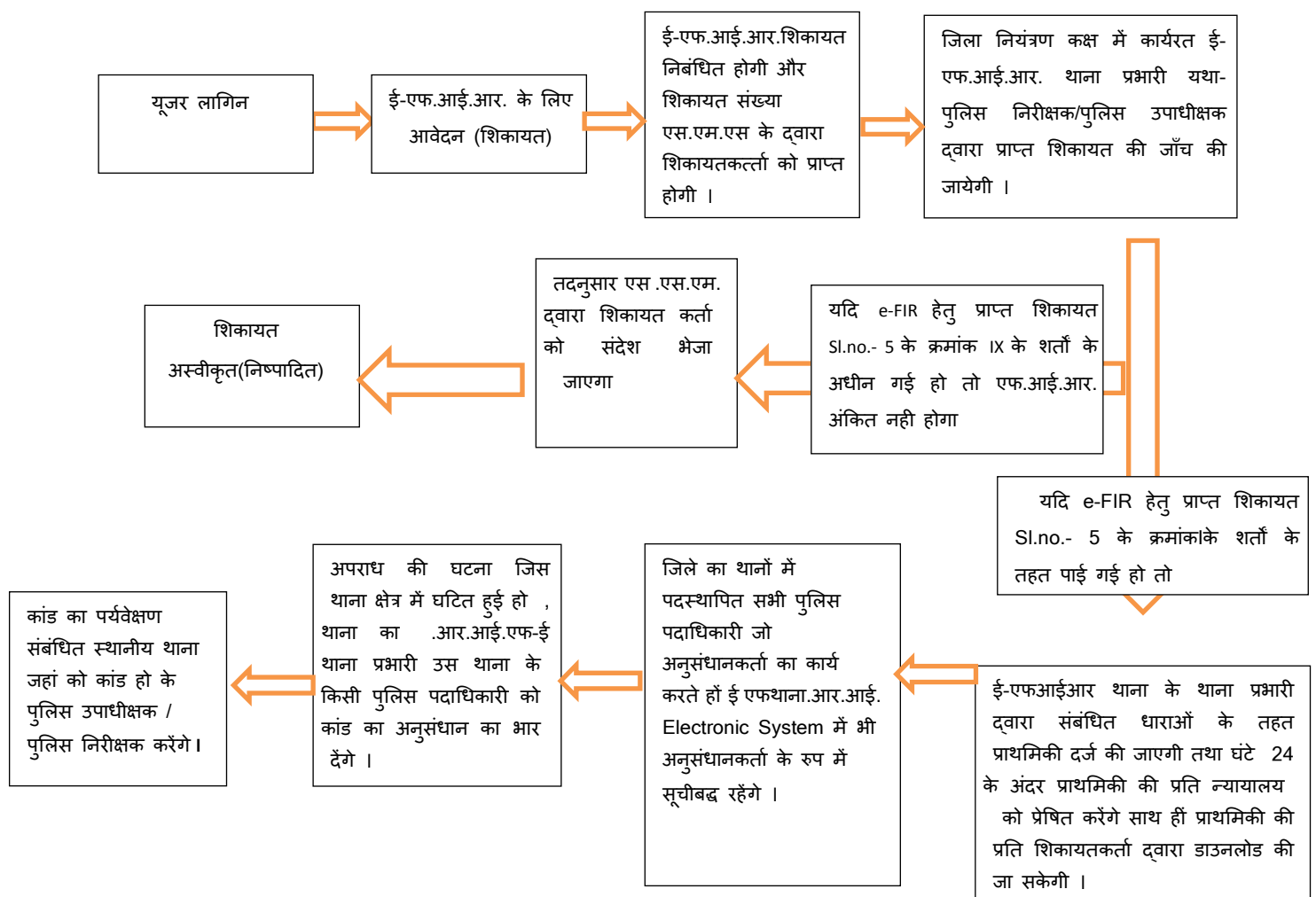
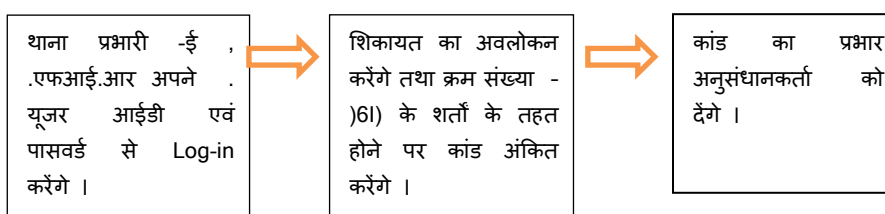
8. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

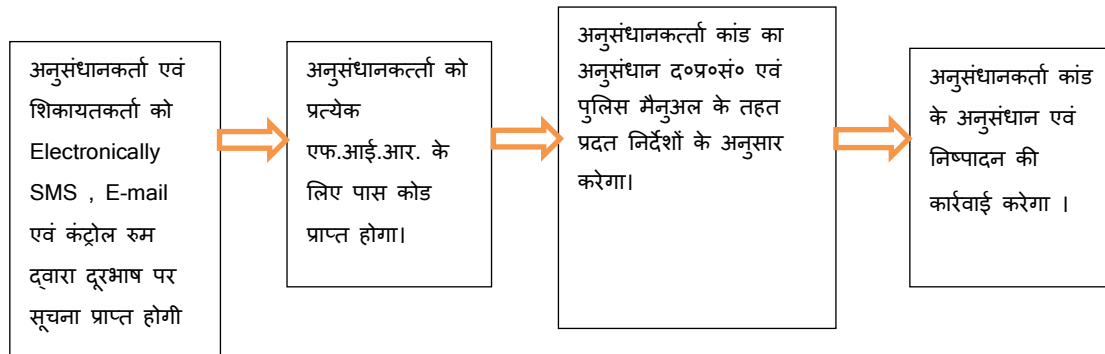
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

तदाशा मिश्र,
सरकार के विशेष सचिव ।

Annex - I**WORK FLOW OF ELECTRONIC-FIR MODEL****1. e-FIR का Application Flow :-**

सबसे पहले जिस किसी आम नागरिक को e-FIR दर्ज करानी हो उसे खुद को www.samadhan.jhpolice.gov.in पर User Create करना होगा उसके बाद का flow निम्न प्रकार होगा -

**Application Flow For Officer In Charge , e-FIR Police Station :-**

2. Application Flow For Investigation Officer (IO) Assigned :-**3. Exceptional features for Motor vehicle theft cases :-**

यदि कांड में किसी प्रकार की गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हो पाये तो प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तिथि से 30(तीस) वें दिन Electronic system स्वतः थाना प्रभारी , ई - एफ.आई.आर. थाना द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित अंतिम प्रतिवेदन (सूत्रहीन) निर्गत कर देंगे।

